दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 12-07-2025

दो नाबालिगों से दुष्कर्म के 9 आरोपियों की उम्रकैद बरकरार, अपील खारिज

बलौदा बाजार कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में की गई थी अपील

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने दो नाबालिगों से दुष्कर्म के 9 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। आरोपियों ने स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी, बलौदा बाजार के 10 मार्च 2021 को सुनाए गए फैसले के खिलाफ 9 दोषियों ने अपील की थीं। कोर्ट ने सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। दोषियों को नाबालिग लड़कियों के अपहरण, बलात्कार, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था।30 मई 2020 की रात आरोपी कमलेश ने दो नाबालिगों को फोन कर घर के बाहर बुलाया। गोपी के साथ मिलकर दोनों को बाइक से अमेरा गांव ले गए। वहां श्मशान घाट के पास दोनों से अश्लील हरकतें कीं। लौटते समय केसला गेट के पास अन्य आरोपी मिल गए। उन्होंने बाइक रोककर दोनों पीड़िताओं को खींच लिया। फिर सभी ने मिलकर दोनों के साथ दुष्कर्म किया। राजेंद्र ने घटना का वीडियो भी बनाया। बाद में वीडियो पीयूष वर्मा को दे दिया गया।

किसे क्या सजा मिली थी

कोर्ट ने अजय वर्मा उर्फ छोटू, शिवम वर्मा उर्फ मोनू और जगन्नाथ यादव उर्फ मोलू को धारा 341/34 के तहत एक माह की सजा सुनाई थी। राजेंद्र कुमार डहरिया उर्फ लाला डहरिया उर्फ राजेंद्र डायमंड, उकेश उर्फ राकेश डहरिया, सोहन ध्रुव और अन्य को धारा 376-डीए, 376-डी, 506 भाग-2 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई। राजेंद्र को आईटी एक्ट की धारा 66(ई) के तहत भी दोषी ठहराया गया। पीयूष वर्मा उर्फ मिंटू को धारा 354(A)(1)(iv) और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 व 21 के तहत दोषी ठहराया गया।